न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 41/2016

गोबरीलाल पुत्र श्री काल्या उर्फ कालूलाल जाति चमार निवासी भगवानपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

–वादी

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र श्री काल्या उर्फ कालूलाल जाति चमार निवासी भगवानपुरा तहसील मांगरोल
2. ग्यारसी राम पुत्र
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री अजीत कुमार जैन

वकील प्रतिवादीगण : श्री मनोज कुमार आर्य

दायरा दिनांकः 02.05.2016 निर्णय दिनांक : 25.06.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के संयुक्त खाते की आराजी खाता संख्या 50 खसरा नं0 37 रकबा 3.53 है0 आराजी ग्राम भगवानपुरा में स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का बराबर–बराबर हिस्सा निहित है वादी का उपरोक्त आराजी में हिस्सा 1/3 निहित है किन्तु प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने वादी से अधिक हिस्सा आराजी को काश्त कर रखा है तथा आये दिन वादी को आराजी के संबंध में परेशान करते रहते है अतः बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित की जावते कि खाता संख्या 50 खसरा नं0 37 रकबा 3.53 है0 ग्राम भगवानपुरा में स्थित आराजी जिसमें से वादी की 1/3 हिस्सा आराजी दक्षिणी साईड की ओर को पृथक खाता दर्ज किया जावें। तथा पृथक से नक्शा व लगान कायम किया जावे। तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी की हिस्सा आराजी 1/3 में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 02.05.2016 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार आर्य ने 22.06.2016 को वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 की ओर से आज

तक जवाब दावा प्रस्तुत नही किया है। वादी के अधिवक्ता श्री अजित कुमार जैन व प्रतिवादी कम 1 के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार आर्य ने राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प बोहत दिनांक 25.06.2018 को बहस की, वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया जिसे उन्होने अपने वाद में अंकन किया है। प्रतिवादी कम 1 व 2 के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार आर्य वादी अधिवक्ता की बहस से सहमत है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो एवं सुनी गयी बहस के आधार पर वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 2 का ग्राम भगवानपुरा की आराजी खाता संख्या 50 खसरा नं0 37 रकबा 3.53 है0 में हिस्सा 1/3–1/3 हिस्सा निहित है, अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 का हिस्सा ग्राम भगवानपुरा की आराजी खाता संख्या 50 खसरा नं0 37 रकबा 3.53 है0 में वादी का हिस्सा 1/3 दक्षिणी साईड व प्रतिवादी कम 1 व 2 का हिस्सा 1/3–1/3 पृथक–पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें एवं राजस्व नक्शे को दुरूस्त करे साथ ही प्रतिवादी कम 1 व 2 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी की आराजी में दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प बोहत मजमेंआम में सुनाया गया।